न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

वर्ष 2022

प्रार्थना पत्र. संख्या 12/22

GCMS No- 2022/49

बउनवानीः–1. बंशी पुत्र कामड खटीक निवासी ग्राम कुश्तला, तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. कोटा –लालसोट मेगा हाईवे परियोजना निदेशक जरिये अम्बेडकर कॉलोनी, बम्बोरी ग्रामीण सवाईमाधोपुर
3. तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 भूमि अधिग्रहण मे उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार सुधार तथा पुर्नवास अधिनियम,2013 बाबत लालसोट –कोटा मेगा हाईवे बाईपास के तहत ग्राम कुश्तला मे प्रार्थी की अवाप्त भूमि का मुआवजा दिलवाने व प्रार्थी की जमीन का सीमाज्ञान के मुताबिक वाद के निर्णय एवं डिक्री अनुसार मुआवजा अदा किये जाने बाबत पेश किया गया है।

उपस्थितः–1. श्री बंशी लाल — स्वंय प्रार्थी

2. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार

–: निर्णय :– दिनांकः– 25.3.2026

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा 65 भूमि अधिग्रहण मे उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार सुधार तथा पुर्नवास अधिनियम,2013 बाबत लालसोट–कोटा मेगा हाईवे बाईपास के तहत ग्राम कुश्तला मे प्रार्थी की अवाप्त भूमि का मुआवजा दिलवाने व प्रार्थी की जमीन का सीमाज्ञान के मुताबिक वाद के निर्णय एवं डिक्री अनुसार मुआवजा अदा किये जाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी के खसरा नं० 3581, 3582, 3583, 3584, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, व 6091/3590 कुल रकबा 1.08 है0 किता 9 भूमि प्रार्थी की खातेदारी दर्ज है। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 3166 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा खसरा नं० 3381 रकबा 0.13 है0 में से 0.05 है0, 3587 रकबा 0.27 है0 में से 0.111 है0, 3588 रकबा 0.08 है0 में से 0.052 है0 3589 रकबा 0.15 है0 में से रकबा 0. 055 है0, 3590 रकबा 0.17 है0 में से 0.041 है0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली के एनएच 116 टोंक सवाई माधोपुर के नाम इन्द्राज दर्ज हुआ है। जिसका मुआवजा प्रार्थी को मिल चुका है जबकि प्रार्थी की जमीन का शेष हिस्सा जो कि उक्त आराजी खसरा नं० 3587, 3588 व 3589 व 3590 में से लालसोट कुशतला–कोटा मेगा हाईवे में भी प्रार्थी की जमीन का कुछ भाग कोटा–लालसोट मेगा हाईवे के निर्माण के लिए अवाप्त किया गया है जिसका मुआवजा प्रार्थी को आज तक नही मिला है तथा उस जमीन के मुआवजे हेतु प्रार्थी को आज तक कोई नोटिस या सूचना नही दी गई हे। जबकि इस बाबत प्रार्थी ने कई मर्तबा विभाग को लिखित में भी पत्र व्यवहार किया है तथा कई मर्तबा विभाग के चक्कर लगा चुका है किन्तु उक्त खसरा नं० 3587, 3588, 3589, 3590 के सम्बन्ध में प्रार्थी को आज तक कोई मुआवजा राशि नही मिली है जबकि उक्त भूमि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 3 ने गलत रिपोर्ट पेश कर प्रशासन से मिली भगत करके प्रार्थी को उक्त खसरा नं० का मुआवजा राशि नही लेने दी है जबकि प्रार्थी के उक्त खसरा नं० 3581,3582,3583,3584,3586,3587,3588,3589, 3590,6091/3590 कुल रकबा 1.08 है० किता 9 में कुछ खसरा नं० 3587,3588, 3589, 3590 में से भूमि का कुछ हिस्सा

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अवाप्त की गई है। जिसका मुआवजा प्रार्थी को आज तक नही मिला है। उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी ने सीमाज्ञान के लिये भी पटवारी व तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नही की बल्कि अप्रार्थी संख्या 3 ने गलत रिपोर्ट पेश करके प्रार्थी की भूमि के मुआवजे को रुकवा दिया है ना ही प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। मुआवजा बाबत् आपत्ति पूर्व में भी प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा 3 को पेश की गयी थी। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवाई नही की गई है। प्रार्थी ने समस्त दस्तावेज भी पूर्व में अपनी आपत्ति के साथ संलग्न किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं० 3581, 3582, 3583, 3584, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, व 6091/3590 कुल रकबा 1.08 है० किता 9 में से खसरा नं० 3587, 3588, 3589, 3590 में से जो भी भूमि कोटा लालसोट मेगा हाईवे निर्माण हेतु अवाप्त की गई है उसकी मुआवजा राशि दिलवाये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व द्वारा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे–116 के लिए अवाप्त की गई आराजी ख०नं० 3381 में से 0.05, 3587 में से रकबा 0.111, 3588 में से रकबा 0.052, 3589 में से रकबा 0.055 एवं ख०नं० 3590 में से रकबा 0.041 हैक्टेयर भूमि (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग) टोंक– सवाई माधोपुर के लिए भूमि अवाप्त की गई थी। जिसका मुआवजा भी प्रार्थी का तत्समय ही अदा कर दिया गया है। प्रार्थी की आ०ख०नं० 3587, 3588 व 3589, 3590 में से लालसोट–कोटा मेगा हाईवे में भी प्रार्थी की जमीन का कोई अंश कोटा–लालसोट मेगा हाईवे द्वारा अवाप्त नही किया गया है। इस ही कारण प्रार्थी के आज तक अवाप्ति बाबत कोई नोटिस एवम् सूचना नही दी गई है। कोटा–लालसोट मेगा हाईवे रोड का निर्माण काफी समय पहले ही सम्पन्न हो चुका था। वर्तमान में उक्त रोड के संबंध में कोई प्रकरण जेरेकार नही है। परियोजना निदेशक द्वारा भी अवगत कराया कि एलएओ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मेगाहाईवे मे भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गयी है रिअलाईमेंट कुश्तला का अवार्ड सा0नि0वि0 भूमि अवाप्ति अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा किया गया है। इसमे प्रार्थी बंशी पुत्र कामड खटीक की कोई भूमि अवाप्त नही हुई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के अनुसार कोटा–लालसोट मेगा हाईवे निर्माण हेतु प्रार्थी के उक्त ख0न0 3587,3588,3589,3590 मे से कोई भूमि उपयोग मे नही ली गयी है इसलिए उक्त कार्य हेतु प्रार्थी की उक्त ख0न0 मे से कोई भूमि अवाप्त नही होने से मुआवजा दिया जाना सम्भव नही है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड (तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक एलआर/2021/5661 दिनांक 19.8.2021 के अनुसार प्रार्थी की भूमि एन.एच.116 के निर्माण हेतु अवाप्त हुई थी जिसका मुआवजा प्रार्थी को मिल चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त संबंध मे तत्समय भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति पेश किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नही किये है। केवल वर्ष 2019,2020 मे दिये गये परिवाद की प्रति पेशकी गयी है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner